

दिनांक 14.01.2021 को जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का एजेण्डा ।

1. मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाडीसैण की अद्यतन स्थिति:-

कुल भूमि 02.5 एकड़, कुल विकसित भूखण्ड-45, कुल विकसित भूखण्डों की नाप- 4701.50 वर्गमी.

आवंटित भूखण्डों का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	प्रस्तावित उद्यम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1.	मै. जोशी फर्नीचर एवं डैकोरेटर्स	फर्नीचर निर्माण	01	91.00 वर्गमीटर	03.11.12 से कार्यरत
2.	मै. वाणी इंजीनियरिंग वर्क्स	इंजीनियरिंग वर्क्स	01	307.50 वर्ग मी.	31.03.17 से कार्यरत
3.	मै. सूजल वेकर्स	बेकरी प्रोडक्ट्स	01	200.00 वर्ग मी.	07.02.15 से कार्यरत
4.	मै. पॉलिगॉन केमिकल्स प्रा. लि.	बेसिक आर्गनिक केमिकल्स (प्लास्टीसाइजर)	08, 09 10, 11 12, 13	607.50 वर्गमी.	निरस्त कर दिया गया है। प्लाट रिक्त है।
5.	मै. शिवालिक नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स	फल प्रसंस्करण	14 से 28 तक	1293.75 वर्ग मी.	29.5.12 से कार्यरत
6.	मै. जिला भेषज सह. संघ	आश्वान संयंत्र	32	100.00 वर्ग मी.	स्थापित/बन्द
7.	मै. जिला भेषज सह. संघ	आफसेट प्रिंटिंग	33 से 35 तक	300.00 वर्ग मी.	23.02.18 से कार्यरत
8.	मै. मंदाकिनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण	37 से 39 व 41	318.75 वर्गमीटर	15.09.10 से कार्यरत
9.	मै0 मंदाकिनी सोया प्रोडक्ट	सोया प्रोडक्ट	40	93.75 वर्ग मी.	08.11.12 से कार्यरत
10.	मै0 रुद्री आर्गनिक एण्ड लाइफ साइंसेज	आयुर्वेदिक औषधि निर्माण	42, 43, व 44	281.25 वर्ग मी.	निरस्त कर दिया गया है। प्लाट रिक्त है।
11.	मै0 किशोरी लाल फ़ैब्रीकेशन	फ़ैब्रीकेशन	50	135.00 वर्ग मी.	निरस्त कर दिया गया है। प्लाट रिक्त है।
12.	मै. रुद्रा फुड प्रोडक्ट्स	फूड प्रोसेसिंग	02, 03	182.00 वर्ग मी.	निर्माण कार्य किया जा रहा है।
13.	मै. रुद्रा बेकर्स रुद्रप्रयाग	बेकरी प्रोडक्ट्स	06,07	171.50 वर्ग मी.	निर्माण कार्य किया जा रहा है।
14.	मै. गणपति एसोसि0 रुद्र0	आइस क्रीम	29, 30,31	337.50 वर्ग मी.	निर्माण कार्य किया जा रहा है।
15.	मै. हरियाली एग्रो रुद्रप्रयाग	फुट जूसादि	36	100.00 वर्ग मी.	निरस्त कर दिया गया है। प्लाट रिक्त है।
	योग:-		43 भू0 आवंटि.	4519.50 वर्गमीटर	

रिक्त भूखण्डों का विवरण

1.	रिक्तभूखण्ड	प्लाट सं.- 4, 5	182.00 वर्ग मी.	अनु0जाति/जनजाति हेतु आरक्षित। (आवटन नहीं हुआ है।)
----	-------------	-----------------	-----------------	---

2. मिनी औद्योगिक आस्थान में प्लाट आबंटित इकाइयों के द्वारा पुनः प्लाट आबंटन हेतु अनुरोध:-

गत बैठक में इकाइयों को पर्याप्त समय देने के उपरान्त भी कार्य आरम्भ न करवाने के फलस्वरूप, अन्य के साथ निम्न इकाइयों को आबंटित प्लाट निरस्त किये गये हैं।

1. मैसर्स पॉलिगॉन केमिकल्स प्रा. लि. के द्वारा निरस्त किये गये प्लाटों के पुनः आबंटन हेतु अनुरोध किया गया है। मैसर्स पॉलीगॉन केमिकल्स के द्वारा कोविड-19 एवं अन्य अनुमतियों में देरी होने के कारण इकाई की स्थापना सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ न करवाने हेतु खेद व्यक्त किया गया है तथा अगामी 6 से 9 माह में इकाई की स्थापना प्रारम्भ करने हेतु अतिरिक्त समय देने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. मैसर्स रूद्री ऑर्गनिक के द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कार्यशाला भवन मानचित्र अनुमोदित न होने तथा बैंक से ऋण स्वीकृत न होने के कारण इकाई की स्थापना नहीं की जा सकी है तथा इकाई की स्थापना हेतु 6 माह का अतिरिक्त समय देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त इकाइयों के अनुरोध पर, समिति इन इकाइयों को पूर्व में आबंटित प्लाटों को पुनःआबंटन करने पर विचार करना चाहें।

3. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृति:-

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में, जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

4. मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाइयों की समस्यायें:-

1. उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया है कि रात्रि के समय सड़कों पर काफी अधेरा रहता है, जिस हेतु सड़क पर सौर संचालित स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है।

2. औद्योगिक आस्थान में अधिकांशतया जल संचालन बाधित रहता है।

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति- 2015 के तहत औद्योगिक इकाइयों को उपादान स्वीकृति:-

(क) ब्याज उपादान:-

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात-दो/15/146- एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी-ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धन. में	10 % की दर से ब्याज उपा.की धन. या अधिकतम् ` 08 लाख	
1. मै. चार मचान रिसोर्ट भेतसेम, गुप्तकाशी	सावधि ऋण	100.00	13.35	01.07.20 से 30.09.20	1,07,716.00	27,026.00	80,690.00	
		100.00	11.75	01.10.20 से 31.12.20	1,68,966.00	25,166.00	1,43,800.00	
		योग						2,24,490.00
2. मैसर्स द टूरिया हैली रिसोर्ट जामू फाटा	सावधि ऋण	67.50	9.40	01.07.20 से 30.09.20	1,55,117.00	—	1,55,117.00	
		67.50	9.40	01.10.20 से 31.10.20	51,475.00	—	51,475.00	
		67.50	9.40	01.11.20 से 30.11.20	50,164.00	—	50,164.00	
		67.50	9.40	01.12.20 से 31.12.20	52,229.00	—	52,229.00	
		योग						3,08,985.00
3. मैसर्स नन्दा रिसोर्ट बडासू 2019-20	सावधि ऋण	200.00	11.25	01.01.20 से 31.03.20	6,34,897.00	70,545.00	5,64,352.00 क्योंकियोजना के अन्तर्गत एक वर्ष में अधिकतम रू0 8,00,000.00 तक ही स्वीकृत किया जाना है तथा इकाई को पूर्व की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 4,44,444.00 की स्वीकृत दी जा चुकी है। अधिकतम मानक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस अवधि हेतु रू0 3,55,556.00 को स्वीकृति हेतु समिति के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत है।	
2020-21	सावधि ऋण	200.00	11.25	01.04.20 से 30.06.20	6,45,660.00	71,740.00	5,73,920.00	
	सावधि ऋण	200.00	11.25	01.07.20से 30.09.20	6,53,646.00	72,628.00	5,81,018.00	
		योग						11,54,938.00
							अधिकतम के आधार पर रू0 8,00,000.00	
इकाई को कुल स्वीकृत हेतु धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21							11,55,556.00	

अतः समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों को ब्याज उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

5. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचार:-

एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत निम्न इकाइयों के सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राप्त हुये हैं।

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	उत्पाद	स्थान	अनुज्ञा/अनापत्ति का विवरण	सैद्धान्तिक स्वीकृति
1.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	मोबाइल स्टोन केशर	ल्वारा	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
2.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	होट मिक्स प्लान्ट	ल्वारा	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	रेडी मिक्स प्लान्ट	ल्वारा	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
4.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	रेडी मिक्स प्लान्ट	बुटोलगांव	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
5.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	मोबाइल स्टोन केशर	परकन्डी	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
6.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	मोबाइल स्टोन केशर	जवाडी बाईपास	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
7.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	मोबाइल स्टोन केशर	ल्वारा	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।
8.	मै. आर.जी. बिल्डवैल इन्जीनियरिंग लिमिटेड	मोबाइल स्टोन केशर	खुमेरा	प्रदूषण अनापत्ति	संबंधित विभाग से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।

अतः समिति से उक्त इकाइयों को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध है।

6. विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा:-

समिति को अवगत कराना है कि:-

(क) बीस सूत्रीय कार्यक्रम (लघु उद्योगों की स्थापना)

लक्ष्य	पूर्ति	पूंजी निवेश (लाख में)	रोजगार	प्रतिशत
154	189	1376.00 लाख	579	122.72

(ख) जिला योजना-

(धनराशि लाख रु.)

क्र.सं.	मद का नाम	अनुमोदित परिव्यय (लाख में)	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	अवशेष
1	ई.डी.पी. कार्यक्रम	3.95	3.95	02.29	01.66
2	जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण	6.05	6.05	04.4655	01.5845
कुल योग:-		10.00	10.00	06.7555	03.2445

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (पीएमईजीपी)

लक्ष्य	बैंकों को प्रेषित	बैंक द्वारा स्वीकृत	वितरित	निरस्त
97	423	173	102	200

(घ) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

लक्ष्य	बैंकों को प्रेषित	बैंक द्वारा स्वीकृत	वितरित	निरस्त
200	371	157	92	105

7. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-